

MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall

High Court Campus, Jabalpur

President

DHANYA KUMAR JAIN

Advocate

Mob.: 9300787853, 9424323429

Secretary

PARITOSH TRIVEDI

Advocate

Mob.: 8839696080, 9425176080



Senior Vice President

Amit Jain

Advocate

Mob. 7987766263
9713718977



Vice President

Prashant Avasthi

Advocate

Mob. 9425389007



Joint Secretary

Yogesh Soni

Advocate

Mob. 9039692379



Treasurer

Rajendra Pratap Singh

Advocate

Mob. 8839488134



Library In-Charge

Rajneesh Upadhyay

Advocate

Mob. 8770693844



Executive Member

Manoj Kushwaha

Mob. 9907454817



Smt. Sapna Tiwari

Mob. 9131872884



Vinod Mishra

Mob. 9407058197



Garima Tiwari

Mob. 7000354470



Ravindra Pratap Singh

Mob. 9425645010



Priyank Chansoria

Mob. 8319831582



Smita Kehri

Mob. 9827266335

Ref. No. 909/26

Date: 15/01/2026

सूचना पत्र

प्रति,

श्री विनायक शाह एडवोकेट

हाई कोर्ट जबलपुर

विषय :- आपके द्वारा बगैर सही तथ्यों की जानकारी लिये सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर अधिवक्ताओं के बीच जातिगत वैमनश्यता बढ़ाने वाली भ्रामक पोस्ट कर गंभीर कदाचरण करने के कारण म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ जबलपुर से आपकी सदस्यता समाप्त करने बावत कारण बताओ सूचना पत्र ।

श्री विनायक शाह जी,

आप म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ जबलपुर के सदस्य होते हुए अपने संघ के मान-सम्मान एवं नियमावली का पालन करने हेतु नियमबद्ध है, परन्तु दिनांक 13.01.2026 को आपके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक में एक असत्य पोस्ट पब्लिस की जो मनगढ़ंत आधार पर तथ्यों के परे अधिवक्ताओं के बीच जातिगत विद्वेष बढ़ाने के उद्देश्य से डाली गई, आपके द्वारा असत्य रूप से यह लिखा गया की ग्वालियर के मनुवादी वकील अनिल मिश्रा को जबलपुर हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के मनुवादी सचिव ने सम्मानित करने हेतु आमंत्रित किया था, जबकि म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ, हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोशिएशन के द्वारा या संघ के किसी भी पदाधिकारी द्वारा अनिल मिश्रा अधिवक्ता को संघ में आमंत्रित नहीं किया गया था, वे अपने किसी प्रकरण के सिलसिले में जबलपुर उच्च न्यायालय आये हुए थे, म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ में अनिल मिश्रा आये ही नहीं। आपके द्वारा मिथ्या आधारों पर अधिवक्ता संघ से कोई जानकारी प्राप्त किये बिना अधिवक्ताओं के बीच जातिगत विद्वेष एवं वैमनश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से उपरोक्त पोस्ट सोशल मीडिया में की गई। उपरोक्त पोस्ट में आपने उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधिपति का नाम भी मात्र जातिगत आधार पर उन्हें बदनाम करने की नियत से डाला है। म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ में सभी अधिवक्ता बंधु सदा से एक-दूसरे का पूर्ण सम्मान करते हुए पारिवारिक वातावरण में वकालत का व्यवसाय करते हैं ।

MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall

High Court Campus, Jabalpur

President

DHANYA KUMAR JAIN

Advocate

Mob.: 9300787853, 9424323429



Secretary

PARITOSH TRIVEDI

Advocate

Mob.: 8839696080, 9425176080

Senior Vice President

Amit Jain

Advocate

Mob. 7987766263

9713718977



Vice President

Prashant Avasthi

Advocate

Mob. 9425389007



Joint Secretary

Yogesh Soni

Advocate

Mob. 9039692379



Treasurer

Rajendra Pratap Singh

Advocate

Mob. 8839488134



Library In-Charge

Rajneesh Upadhyay

Advocate

Mob. 8770693844



Executive Member

Manoj Kushwaha

Mob. 9907454817



Smt. Sapna Tiwari

Mob. 9131872884



Vinod Mishra

Mob. 9407058197



Garima Tiwari

Mob. 7000354470



Ravindra Pratap Singh

Mob. 9425645010



Priyank Chansoria

Mob. 8319831582



Smita Kehri

Mob. 9827266335

Ref. No. 909/26

Date: 15/01/2026

आपके द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य इन सभी परंपराओं को ध्वस्त करने की नियत से किया गया है एवं आपके उक्त कृत्य से हमारे उच्च न्यायालय परिवार की स्वस्थ परंपराओं को दूषित करने का प्रयास किया गया है।

म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ, हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोशियेशन की समस्त कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक दिनांक 14.01.2026 को आयोजित की गई जिसमें एकमताने यह निर्णय लिया गया कि आपको इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे कि उपरोक्त कृत्य के दृष्टिगत क्यों न आपकी सदस्यता म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ से समाप्त की जावे एवं आपकी सनद निरस्त करने हेतु म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद को पत्र लिखा जावे।

अतः आप नोटिसी को सूचित किया जाता है कि आप यह नोटिस ले एवं नोटिस का जबाब आज से 15 दिवस के अंदर म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि में जबाब प्रस्तुत न करने पर संघ कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी

सचिव

जिला अधिवक्ता संघ
जबलपुर

योगेश सोनी

सहसचिव

म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता
जबलपुर

सौरभ भूषण श्रीवास्तव

सहसचिव

संघ एडवोकेट बार एसोसिएशन
जबलपुर